

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
शृंखला न्यायालय-बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

C.R.A./6/2017

Filing No. CRA/43/2017

CNR MP 500500001402017

संस्थित दिनांक - 20.12.2014

- 1- राजेन्द्र ढोढरे उम्र करीब 28 वर्ष पिता श्री शिवशंकर ढोढरे जाति कलार
- 2- श्रीमती तीजाबाई उम्र 46 वर्ष पति श्री शिवशंकर ढोढरे जाति कलार
दोनों निवासी-ग्राम कटराटोला बोदा थाना बैहर तहसील बैहर
जिला-बालाघाट अपीलार्थीगण।

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र- बैहर

तहसील बैहर जिला बालाघाट

..... उत्तरवादी

=====

{न्यायालय:-श्री डी.एस. मंडलोई, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्र.क्र.-838/2011 में पारित निर्णय
दिनांक 26.11.2014 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के
अंतर्गत यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

=====

श्री जी.आर. यादव अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री डी.पी. बिसेन अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य।

=====

- // // निर्णय // // -

(आज दिनांक 04 अप्रैल 2016 को घोषित)

1. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री डी.एस. मण्डलोई, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 838/2011 शासन बनाम राजेन्द्र+1, में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2014 से परिवेदित होकर पेश की गई है।
2. अभियोजन मामले का सार यह है कि दिनांक 11.09.2011 को रूपलाल टेकाम वनरक्षक बीट बोदा वन परिक्षेत्र पूर्व बैहर सामान्य चौकीदार

सुरेश और वन समिति अध्यक्ष झामसिंह के साथ गश्ती पर था। तब उसे एक सूखा पेड़ कटा हुआ दिखाई पड़ा था। वे कटे पेड़ के बाजू छिपकर आरोपीगण की प्रतीक्षा की, किंतु नहीं आए। तब वे अपने मुख्यालय वापस चले गए। दिनांक 12.09.2011 को सुबह 7 बजे चौकीदार सुरेश के साथ उसी कटे हुए पेड़ के पास पहुंचे वहाँ की जलाउ लकड़ी काटकर ले जाना पाया था। चाक के चिन्ह देखते हुए ले जाने वाले बोदा गाड़ी के पास पहुंचे कोरजा रास्ता पर मुनारा नंबर 6 के पास बोदलपाट के पास मिले। गाड़ी चलाने वाले को रोका, किंतु नहीं रुका। तेजी से बोदा गाड़ी हांकने लगा। सामने जाकर धुरी और बोदा पकड़कर नाके ले जाने को कहा तो उसने कुल्हाड़ी फेंककर मारा, हट गया इसलिए कुल्हाड़ी नहीं लगी। गाड़ी वाहक ने गाड़ी की उभारी निकालकर बाएं हाथ की कलाई में मारा, दूसरा डंडा पीठ पर मारा। उसके साथ की महिला ने चप्पल मारा, गालियां दी।

3. जंगल से लाते हुए बोदा गाड़ी लकड़ी लेकर भाग गया, दोनों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। चौकीदार ने बताया कि गाड़ी हांकने वाले का नाम राजेन्द्र तथा शिवशंकर कलार है, महिला का नाम तीजाबाई पत्नी शिवशंकर कलार है, दोनों कटराटोला के रहने वाले हैं। उक्त आधार पर पुलिस थाना बैहर ने प्रथम सूचना लेख कर अपराध क्रमांक 92/11 दोनों आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज किया, आहत की एम.एल.सी. कराई गई, नक्शामौका बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, अभियुक्तगण से जप्ती की गई, साक्षीगण के कथन लेख किए गए, अभियुक्तगण की एम.एल.सी. कराई गई, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने झूठी साक्ष्य के आधार पर विवादित निर्णय व दण्डादेश पारित किया है, विधिक दृष्टि में सही आदेश नहीं है, न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है, गलत निष्कर्ष निकाले हैं। झामसिंह, सुरेश अपीलार्थीगण के गांव के साक्षी हैं, गांव में गुटबाजी, रंजिश है। साक्षियों की साजिश के कारण रूपलाल द्वारा झूठी सूचना लेख कराई है। चिकित्सा परीक्षण में रूपलाल के शरीर पर जाहिरा तौर पर कोई चोट, खरोंच, निशान नहीं पाए गए, केवल दर्द होना कहा गया है। स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य नहीं है। धारा 313 द.प्र.सं. के

अधीन लेख बयान पर गौर नहीं किया गया, विचार में नहीं लिया है। साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि की है, तथ्य को अनदेखा किया है। निर्णय दण्डाज्ञा अपास्त कर दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क. 838/11, शासन विरुद्ध राजेन्द्र+1, निर्णय दिनांक 26.11.2014 को अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

6. रूपलाल टेकाम (अ.सा.1), झामसिंह (अ.सा.2), डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.3), इंजन सिंह (अ.सा.4), ए.एस.आई., जग्गू वाघाड़े (अ.सा.5), धरमलाल (अ.सा.6), सुरेशलाल (अ.सा.7) के कथनों का अध्ययन किया गया। प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 9 के दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। रूपलाल (अ.सा.1) ने प्र.पी. 1 की प्रथम सूचना को प्रमाणित किया है। आवेदन में लेख तथ्यों के संबंध में साक्ष्य दी है। अभियोजन द्वारा की गई चूक की पुर्ति प्रतिपरीक्षण के पदों में बचाव पक्ष द्वारा की गई है। उत्पन्न होने वाले संदेह को प्रतिपरीक्षण में समाप्त कर दिया गया है।

7. रूपलाल (अ.सा.1) ने प्रथम सूचना के पश्चात् अपराध कायमी प्र. पी. 2 के संबंध में साक्ष्य दी है। आहत का परीक्षण डॉ. कुमरे (अ.सा.3) द्वारा किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 294, 332/34 भा.द.वि. के अपराध को दोषसिद्ध निष्कर्षित कर कोई तथ्य की त्रुटि नहीं की है। अभिलेख पर आयी मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य की त्रुटि नहीं की है। पारित निर्णय में अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध निष्कर्षित करने के आधारों में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. अपीलार्थीगण की ओर से तर्क में यह भी निवेदन किया गया कि न्यायालय यदि निष्कर्ष में यह पाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि उचित है तो आगे यह निवेदन है कि धारा 332 भा.द.वि. के अपराध में सजा या अर्थदण्ड या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इस

न्यायालय द्वारा इस स्तर पर धारा 332 भा.द.वि. का अध्ययन किया गया। जिसके अंत में यह लेख है कि – वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, का अध्ययन किया गया, विचार में लिया गया।

9. धारा 332 भा.द.वि. के अपराध हेतु 03 वर्ष तक के कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय होना लेख है। अपील में किए गए तर्क के दृष्टिकोण से कारावासीय दण्ड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण के निवेदन पर आलोच्य निर्णय में पारित निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है। धारा 294 भा.द.वि. के अपराध हेतु पूर्व से 500/—, 500/—रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित है जिसे यथावत रखा जाता है।

10. पारित दण्ड में आंशिक संशोधन करते हुए कारावासीय दण्ड समाप्त कर आरोपी/अपीलार्थी राजेन्द्र को धारा 332 भा.द.वि. के किए गए अपराध हेतु 5,000/—(पांच हजार) रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 09 माह का साधारण कारावास पृथक् से भुगताया जावे तथा अपीलार्थिनी तीजाबाई को धारा 332 भा.द.वि. के किए गए अपराध हेतु 5,000/—(पांच हजार) रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 09 माह का साधारण कारावास पृथक् से भुगताया जावे

11. अपीलार्थीगण ने धारा 294 भा.द.वि. के लिए दिए गए अर्थदण्ड की राशि तथा धारा 332 भा.द.वि. के अर्थदण्ड की राशि 500/—, 500/— रुपए रसीद क्रमांक 687/79 एवं 687/80 दिनांक 26.11.2014 द्वारा अदा की है। अपीलार्थीगण 4500/—, 4500/—रुपए अर्थदण्ड की राशि अदा करें तो उन्हें रसीद जारी कर प्रदान की जावे।

12. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर परिणाम दर्ज करने हेतु भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित
किया गया।

सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर